सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2011-12 प्रतिवेदन का संख्या - 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2011-12 प्रतिवेदन का संख्या - 1

विषयसूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii

अध्याय - 1: राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड का परिचय	1.1	1
प्रस्तावना	1.1.1	1
चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सांराश	1.2	1
बजट आकलन के साथ वास्तविक	1.2.1	3
झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का कार्यान्वयन	1.2.2	4
राज्य के संसाधन	1.3	5
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.3.1	5
राज्य की विशेष जरूरतों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	1.3.2	7
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.3.3	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.4	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.4.1	11
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.4.2	12
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.4.3	12
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.5	13
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.5.1	13
कार्य कलापों के संदर्भ में कुल व्यय	1.5.2	14
राजस्व व्यय	1.5.3	15
पूँजीगत व्यय	1.5.4	16
वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान पर व्यय	1.5.5	16
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	1.5.6	19
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली	1.5.7	20
व्यय की गुणवत्ता	1.6	22
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.6.1	22
कुल व्यय के इस्तेमाल की दक्षता	1.6.2	23
सरकारी व्यय और निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.7	25
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.7.1	26
अपूर्ण परियोजनायें	1.7.2	26
निवेश एवं वापसी	1.7.3	26
राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1.7.4	27
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.7.5	28
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.8	29
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.8.1	29
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.8.2	31
ऋण धारणीयता	1.8.3	31
राजकोषीय असंतुलन	1.9	33
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.9.1	33
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण	1.9.2	35
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.10	36

विषयसूची

अध्याय - 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	2.1	39
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	39
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	39
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.4	40
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	40
निरंतर बचतें	2.4.2	42
2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	2.4.3	42
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	2.4.4	43
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान	2.4.5	44
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.4.6	44
वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित	2.4.7	44
प्रत्यार्पित बचतें जो अभ्यर्पित नहीं हुई	2.4.8	44
व्यय का वेग	2.4.9	44
विभागीय आँकड़ों का असमायोजन	2.5	45
लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अधीन प्रावधान	2.6	46
निष्कर्ष	2.7	47
अनुशंसाएँ	2.8	47

अध्याय - 3: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	3.1	49
ए.सी. विपत्र के आहरण का झुकाव	3.2	50
ए.सी. विपत्र से योजना निधि का आहरण	3.3	51
पूँजीगत कार्यों के लिये ए.सी. विपत्रों से निधि का अनाधिकृत आहरण	3.4	52
वित्तीय वर्ष के अन्त में ए.सी. विपत्र का आहरण	3.5	53
ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण की पुनरावृति	3.6	54
ए.सी. विपत्र के द्वारा आहरित निधि को बैंक खाते में रखना	3.7	54
लेखा परीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव	3.8	55
निष्कर्ष	3.9	56
अनुशंसाएँ	3.10	56

अध्याय - 4: वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना		
भुगतित अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.1	57
स्वायत निकाय/प्राधिकरण द्वारा लेखों का विलंबित प्रस्तुतीकरण	4.2	58
धारा 14 एव 15 के अन्तर्गत स्वायत निकाय/प्राधिकरण	4.2.1	58
धारा 19 एवं 20 (i) के अन्तर्गत स्वायत निकाय/प्राधिकरण	4.2.2	58
दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि	4.3	59
व्यक्तिगत जमा लेखा	4.4	60
सहायता अनुदान का संवितरण	4.5	60
निष्कर्ष	4.6	60
अनुशंसाएँ	4.7	61

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट- 1.1 पार्ट-ए	झारखण्ड का परिचय	63
परिशिष्ट- 1.1 पार्ट-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	64
परिशिष्ट- 1.1 पार्ट-सी	वित्त लेखे की अभिन्यास	64
परिशिष्ट- 1.2 पार्ट-ए	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	65
परिशिष्ट- 1.2 पार्ट-बी	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007	66
परिशिष्ट- 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	67
परिशिष्ट- 1.4 पार्ट-ए	वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	70
परिशिष्ट- 1.4 पार्ट-बी	31 मार्च 2012 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	74
परिशिष्ट- 1.5	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण	76
परिशिष्ट- 2.1	₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों विनियोग की विवरणी	77
परिशिष्ट- 2.2	वर्ष 2011-12 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 10 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	79
परिशिष्ट- 2.3	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	83
परिशिष्ट- 2.4	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	84
परिशिष्ट- 2.5	निधि का अधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनयोग	86
परिशिष्ट- 2.6	वास्तविक बचत से अधिक राशि (प्रत्येक मामलों में ₹ 50 लाख अधिक)	87
परिशिष्ट- 2.7	₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत, जो अभ्यर्पित नहीं की गई, की विवरणी	88
परिशिष्ट- 2.8	30 और 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि के मामले	89
परिशिष्ट- 2.9	वर्ष के अंत में व्यय की वेग	91
परिशिष्ट- 2.10	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत कार्यक्रम निधियों का बजट	92
परिशिष्ट- 3.1	चयनित विभागों में बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए सी विपत्र)	93
परिशिष्ट- 3.2	वर्ष 2009-12 के दौरान ए सी विपत्र (नमूना जॉच) से निधियों का आहरण	94
परिशिष्ट- 3.3	आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण	96
परिशिष्ट- 3.4	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का बार-बार आहरण	97
परिशिष्ट- 3.5	झा.पु.आ.नि.सि. द्वारा बचत खाते में रखी गई निधियाँ	99
परिशिष्ट- 4.1	झा.पु.आ.नि.सि. द्वारा बचत खाते में रखी गई निधियाँ	100
परिशिष्ट- 4.2	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित किये गये इकाईयों की सूची	101
परिशिष्ट- 4.3	हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि मामलों का विभागवार ब्यौरा	104
परिशिष्ट- 5.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची	105